उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
संख्या–चार–2564–97, दिनांकःसितम्बर 15 , 2012

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय– उ0प्र0 पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान को अधिक कियाशील व उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में।

आपके जनपद में उ0प्र0 पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान नामक संगठन कार्यरत है जिसकी पंजीकरण संख्या 029/1999–2000 है व कार्यालय कक्ष सं0 419 इन्दिरामवन लखनऊ में स्थित है। इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य पेंशनरों के कल्याण के अलावा पुलिस विभाग व सरकार को साम्प्रदायिक हिंसा चुनावों प्राकृतिक आपदाओं आदि के समय सहयोग प्रदान करना है।

2– पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पदेन इस संस्थान के प्रदेश स्तरीय संरक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय पदेन सह संरक्षक और परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद अपनी–अपनी इकाई के पदेन संरक्षक हैं। प्रत्येक इकाई के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, दो उप सचिव व कोषाध्यक्ष का प्राविधान है जिन्हे पेन्शनरों द्वारा चुने जाने की व्यवस्था है। निर्वाचन संरक्षक द्वारा स्वयं अपनी अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जा सकेगा जो प्रदेश इकाई के निर्वाचन के लिये अपर पुलिस महानिदेशक और जिला इकाई के लिये अपर पुलिस अधीक्षक से न्यून स्तर का नहीं होगा। पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। मेरा अनुरोध है कि निर्वाचन नियमानुसार व समय से सुनिश्चित किया जाय।

3– उपरोक्त संस्थान ने अब तक के कार्यकाल में अपनी उपादेयता निसन्देह रुप से स्थापित की है। अतः इसे अधिक सुदृढ व सकिय बनाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कई विस्तृत परिपत्र निर्गत किये गये हैं तथा वर्ष 2003 में पुलिस पेंशनर्स मैनुअल भी प्रकाशित की गयी जो उस समय विभाग में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेषित की गई। अभी कुछ ही समय पूर्व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अ0शा0 पत्र संख्या डीजी–4–105 (44) 95–।।। दि0 09.05.2012 जारी किया गया है। फिर भी कई अधिकारी संस्थान के विषय में अनभिज्ञ बने हुये हैं तथा कई जिलों में इस संगठन की इकाइयॉ सकिय नहीं हो पायी हैं। यह स्थिति संन्तोषजनक नही कही जा सकती। इसलिए प्रमुख बिन्दुओं पर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट किया जा रहा है।

4– किसी भी संगठन की शक्ति उसकी सदस्यता पर निर्भर है। संस्थान की सदस्यता के लिये आजीवन सदस्यता शुल्क राजपत्रित अधिकारियों के लिये रु0 100 व शेष के लिये रु0 50 मात्र रखा गया है। पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या चार–2564–97 दिनांक 03.03.2000 सम संख्यक पत्र दिनांक 10.10.2006 द्वारा प्रेषित निधि नियमावली वर्ष 2006 तथा सम संख्यक परिपत्र दिनांक– 31.10.2011 के अनुसार सदस्यता से प्राप्त शुल्क का रख–रखाव जिला पुलिस प्रभारी के नियंत्रण में आंकिक शाखा द्वारा अन्य प्राइवेट फण्डो की भॉति किया जाना है। इसके लिये प्रत्येक जनपद में संस्थान के नाम स्थानीय स्टेट बैंक में बचत खाता खोला जाना है। प्राप्त धन का आधा संस्थान के प्रादेशिक मुख्यालय को कोर बैकिंग के जरिए चेक के माध्यम से भेजा जाना है तथा शेष धन जनपदीय इकाई द्वारा, निर्गत नियमों के अनुसार खर्च किया जायेगा। लक्ष्य यह है कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सभी लोगों के विषय में सदस्यता की कार्यवाही सेवानिवृत्त के समय ही पेंशनर की स्वेच्छा से पूरी कर ली जाय और जिन जिलों में खाते नहीं खुलवाये जा सके हैं उनमें तुरन्त खाते खुलवा लिये जायें तथा इसकी सूचना संस्थान के राज्य स्तरीय कार्यालय व पुलिस मुख्यालय को दे दी जाय।

5– सेवानिवृत्ति के समय ही पेंशनरों को शासन व पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार सचित्र परिचय पत्र भी निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय।

6— प्रत्येक तिमाही में एक बार पेंशनरों की बैठकें अवश्य की जाय। इस हेतु बार-बार आ० निर्गत किये गये हैं। अभी हाल ही में पुलिस महानिदेशक द्वारा पुनः परिपत्र संख्या डीजी-चार-105 (44) 95-।।। दि0 9.5.2012 निर्गत किया गया है। बैठक का कार्यवृत्त पुलिस मुख्यालय व संस्थान के सचिव को अवश्य भेजी जाय और फालो-अप की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

8— थानों पर पुलिस पेंशनरों का रजिस्टर रखा जाय जिसमें पते के साथ मोबाइल नम्बर भी लिखा जाय। वार्षिक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण कर्ता अधिकारी द्वारा इसका रख-रखाव देखा जाय और इसकी अपडेटिंग सुनिश्चित की जाय।

9— प्रत्येक जनपद में संस्थान के लिये नौडल अधिकारी/कार्यालय कक्ष व अतिथि गृह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जॉय।

10— अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि पेंशनर हमारे बुजुर्ग हैं और उनकी कठिनाइयों का संवेदनशीलता के साथ यथोचित निराकरण करना और उन्हे उचित मान सम्मान देना मेरा हमारा कर्तव्य है।

ह0/-
(डा0 सूर्य कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ0प्र0 इलाहाबाद।

संख्या व दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ।
2— समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उ0प्र0।
3— समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4— श्री एस0के0चन्द्रा, सचिव, उ0प्र0 पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान, कमरा नं0-419 चतुर्थ तल इन्दिरा भवन लखनऊ।